विज्ञप्ति

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत समग्र शिक्षा, उ0प्र0, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ में अस्थायी रूप से सृजित निम्नलिखित रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य, इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं –

क्रम सं0	पदनाम	सातवां वेतनमान	सातवें वेतनमान का लेवल	पद का प्रकार	रिक्त पदों की सख्या
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	78800-209200	12	प्रतिनियुक्ति	04
2	विशेषज्ञ	56100-177500	10	प्रतिनियुक्ति	08
3	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (राज्य परियोजना कार्यालय हेतु)	47600-151100	08	प्रतिनियुक्ति	02
4	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (जिला परियोजना कार्यालय हेतु)	47600-151100	08	प्रतिनियुक्ति	61

1. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ़ सकती है।
2. विज्ञापित पदों हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो निर्धारित वेतनमान एवं वेतन लेवल अथवा समतुल्य वेतनमान तथा वेतन स्तर अथवा इससे ठीक एक वेतन लेवल नीचे (जिसमें रू0 500/– से अधिक अन्तर न हो) में अथवा समतुल्य वेतनमान में कार्यरत हों, आवदेन करने हेतु अर्ह हैं। प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की स्थिति में मूल विभाग में प्राप्त वेतनमान, लेवल तथा राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी परिलब्धियां ही देय होंगे।
3. भारत सरकार/राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक जो ए0सी0पी0 के कारण आवेदित पद के वेतनमान से अधिक वेतनमान पा रहे हैं, वह सम्बन्धित पद पर आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे।
4. भारत सरकार/राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक अथवा किसी उपक्रम में कार्यरत नियमित/स्थाई कर्मचारी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
5. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के पद पर चयन के लिये वित्त/लेखा/ऑडिट के कार्य में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। टेली पैकेज की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जायेगी।
6. अभ्यर्थी यदि इससे पूर्व सर्व शिक्षा अभियान में सेवारत रह चुका हो तो उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति से 06 माह का अन्तराल (cooling period) नियमतः अवश्य होना चाहिए।
7. वरिष्ठ विशेषज्ञ के पद हेतु मात्र राजपत्रित अधिकारी ही पात्र होंगे।
8. वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ के पद पर चयन में शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी।

9. विज्ञापित पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु सम्बन्धित विभाग में स्थायी पद पर दिनांक 01 जुलाई, 2024 को कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा अनिवार्य है, जिसका प्रमाण अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
10. प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये गये अधिकारियों/कर्मचारियों को उ0प्र0 शासन द्वारा अपने राज्य अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर देय विभिन्न भत्ते अनुमन्य होंगे।
11. प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 03 वर्ष की होगी तथा विशेष परिस्थितियों में 05 वर्ष होगी, परन्तु किसी भी दशा में प्रतिनियुक्ति अवधि 05 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
12. जिन आवेदकों की अधिवर्षता आयु दिनांक 30 जून, 2024 को 05 वर्ष से कम शेष रह गयी है ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नही होंगे।
13. चयन/स्क्रीनिंग समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय नियुक्ति प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. समग्र शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) में कार्यरत् रहने की अवधि में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के पद की सेवा शर्तें लागू होंगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में अधिकारी/कर्मचारी को शासन की अनुमन्यता/उ0प्र0 सरकार के संचालित शासनादेश के अनुसार अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार वहन किया जायेगा।
15. जिस अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही गतिमान है, अथवा जॉच में दोषी पाया गया है, आवेदन हेतु अर्ह नहीं होंगे। समग्र शिक्षा में प्रतिनियुक्ति की अवधि में उक्त स्थिति ज्ञात होने पर सम्बन्धित की प्रतिनियुक्ति की सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
16. प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान किसी विभाग का संविलियन होने/रूग्ण अथवा बन्द इकाई मृत घोषित (Sick) होने पर प्रतिनियुक्त अधिकारी/कर्मी की प्रतिनियुक्ति उसी दिन से स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके बाद उनका कोई दावा (Claim) स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र (रू0 100/– के स्टैम्प पेपर पर) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. पद हेतु निर्धारित वेतन लेवल से ऊपर के वेतन लेवल में कार्यरत अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
18. यदि सम्बन्धित कार्मिक के मूल विभाग में 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं तो सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 7th Pay Commission की संस्तुतियों के अनुसार नये वेतनमान का लाभ नहीं दिया जायेगा।
19. परियोजना के कार्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए यह वांछित है कि इच्छुक अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की दक्षता रखते हों तथा उन्हें कम्प्यूटर की भी सामान्य जानकारी हो।
20. लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम अवश्य लिखा जाए।
21. राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् (समग्र शिक्षा) विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ 226007 में आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **17 सितम्बर, 2024** है। उक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। यदि किसी अन्य माध्यम से आवेदन किया जाता है तो वह स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

22. अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु सूचना–स्थान, तिथि एवं समय के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को पृथक से उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ई–मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

23. किसी भी स्तर पर उक्त चयन की कार्यवाही को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा में निहित होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वप्रमाणित फोटो

1. आवेदित पद का नाम...
2. आवेदक का नाम...
3. पिता / पति का नाम...................................
4. जन्मतिथि..................
5. आयु (30 जून, 2024 को)............. वर्ष........... माह............ दिन.............
6. श्रेणी (अनु0जाति / अनु0जनजाति / अ0पि0वर्ग / सामान्य).......................................
7. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित ई0मेल आई0डी0 एवं मोबाइल नम्बर ....
8. गृह जनपद ....
9. शैक्षिक योग्यता................
10. अन्य प्रोफेशनल योग्यता / विशेषता आदि (यदि कोई हो तो)..
11. मूल विभाग का नाम, पद तथा वेतन...
12. वेतनमान एवं वेतन लेवल तथा कुल परिलब्धि..
13. अनुभव–

क्र0सं0	अवधि (कब से कब तक)	विभाग / संस्था नाम (जहां कार्यरत है)	वेतनमान	अन्य

14. क्या पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्य किया गया है?– (हां / नहीं)
    यदि कार्य किया गया है तो पद–
    स्थान–
    अवधि– .... से .... तक

संलग्नकों की संख्या
स्थान :
दिनांक :

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)
(पता, पिनकोड एवं मो0 नम्बर सहित)

(अग्रसारण अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर)
(मुहर सहित)